न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3741–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–9–2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार नजूल बैरागढ़ वृत्त भोपाल के प्रकरण कमांक 02/अ–70/2012–13 .

1–अशोक कुमार जागड़े आत्मज श्री कुंवर जागड़े
2–मनोहर लाल बाथरी आत्मज श्री छोटेलाल बाथरी
दोनों निवासी 175, अर्जुन नगर, लाउखेड़ी तहसील हुजूर, भोपाल

.....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती शाहीन आसिफ पत्नी श्री फारूख अमान
निवासी ई–5 कहकशॉ अपार्टमेंट
फेस–2 कोहेफिजा भोपाल

.....अनावेदिका

श्री राजेश ठाकुर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री सी0एम0विश्वकर्मा, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/10/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार नजूल बैरागढ़ वृत्त भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम लाउखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे कमांक 147 रकबा 0.202 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 148 रकबा 0.178 हेक्टेयर कुल रकबा 0.310 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में उसके भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है उसके द्वारा दिनांक 24–9–2013 को अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर ज्ञात हुआ कि क्षेत्रफल 30X40=1200 वर्गफीट पर आवेदक कमांक 1 एवं 40X35=1400 वर्गफीट

पर आवेदक कमांक 2 द्वारा अवैध कब्जा किया गया है अतः कब्जा दिलाये जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–70/13–14 दर्ज कर दिनांक 26–9–2014 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों से आवेदकगण को बेदखल किया गया तथा अनावेदिका का कब्जा पुनर्स्थापन किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) आवेदक कमांक 1 द्वारा सर्वे कमांक 142, 143, 145, 144, 147, 148 व 214 कुल रकबा 6.90 एकड़ में से 0.0344 एकड़ अर्थात् 1500 वर्गफीट भूमि दिनांक 18–2–2002 को पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा 6.90 एकड़ में से 0.0849 एकड़ अर्थात् 3700 वर्गफीट भूमि कय की गई है ।

(2) उपरोक्त भूमियॉ कय की जाकर आवेदकगण का नामान्तरण हो गया है एवं उनके द्वारा मकान निर्माण किया जाकर वे निवासरत् हैं तथा नगर निगम में संपत्तिकर एवं जलकर जमा कर रहे हैं तथा विघुत मीटर भी लगवाया गंया है । अनावेदक द्वारा विकेता से मिलकर आवेदकगण की भूमि पर अपना नाम दर्ज कराया गया है जो कि अवैधानिक कार्यवाही है ।

(3) राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन में पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है ।

(4) आवेदकगण को संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण में सूचना पत्र प्राप्त होने पर अवैध सीमांकन की जानकारी प्राप्त हुई है । अतः जानकारी के दिनांक से राजस्व मण्डल में सीमांकन आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है एवं जिसका प्रकरण कमांक निगरानी 433–पीबीआर/2014 है ।

(5) तहसील न्यायालय में उनके द्वारा निवेदन किया गया कि सीमांकन आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रचलित है, अतः संहिता की धारा 250 की कार्यवाही स्थगित की जाये, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(6) तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है ।

(7) प्रश्नाधीन भूमि मकान बना होने से संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक को 10 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 26–9–2014 को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अंतिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है और अंतिम प्रकृति के आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44(1) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । अपीलीय आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रतिबंधित होने से इस न्यायालय द्वारा निगरानी सुने जाने का कोई औचित्य नहीं है, अतः यह निगरानी विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर